पत्र सख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/सचल दल/सामान्य(11-12) / **1112052** / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: **29** अगस्त , 2011

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 नु0शा0 / अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0 /कार्यपालक/ अपील/ उच्च न्यायालय कार्य/ सवोच्च न्यायालय कार्य)/
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र -2008/ 0809100/ वाणिज्य कर दिनांक 03-02-2009 से जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये थे कि सचलदल इकाइयों द्वारा रोके गए वाहन मे लदे माल के संबंध में यथासंभव उसके क्रेता व विक्रेता को भी सूचित कराया जाए । कारण बताओ नोटिस व अभिग्रहण आदेश स्वच्छ हस्तलिपि में अथवा टंकित हो तथा माल रोके जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो । माल के संबंध मे पाई गयी सभी कमियों / त्रुटियों का उल्लेख प्रथम बार मे जारी कारण बताओ नोटिस मे ही कर दिया जाए । अपरिहार्य परिस्थितियों को छोंड़ कर मूल कारण बताओ नोटिस जारी होने के उपरान्त पुन: सामान्यत: अनुपूरक / अतिरिक्त नोटिस न जारी की जाए ।

2- परिपत्र संख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र -2008/ 0809095 / वाणिज्य कर दिनांक 13-01-2009 से यह निर्देश दिये गये थे कि पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में जमानत जमा होने पर प्रवर्तन इकाई के अधिकारियों द्वारा जमानत जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जमा प्रमाण-पत्र एवं प्रकरण से संबंधित प्रपत्रों को कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए एवं कर निर्धारण अधिकारी अभिग्रहण / जमानत संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रत्येक दशा में 60 दिन के अन्दर अर्थदण्ड /अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

3- मुख्यालय के संज्ञान मे यह तथ्य आये हैं कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है, जो कि नितान्त आपत्तिजनक है । एक प्रकरण मे यह पाया गया कि अभिग्रहण की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त प्रवर्तन इकाई के अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण से संबंधित संपूर्ण प्रपत्र नही भेजे गये हैं । पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरण मे जमानत जमा कराये जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से की जाती है । अत: कर निर्धारण अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित मूल अभिग्रहण पत्रावली प्रेषित की जानी चाहिये थी ।

4- उसी प्रकरण में यह भी पाया गया कि वाहन मे लदे माल के भौतिक सत्यापन के समय बनायी गयी इन्वेन्ट्री तथा अभिग्रहण कार्यवाही के समय तैयार की गयी इन्वेन्ट्री मे एकरुपता नही थी । प्रकरण मे जारी की गयी कारण बताओ नोटिस एवं अभिग्रहण आदेश मे तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया था जबकि जारी की गयी कारण बताओ नोटिस मे तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जाना चाहिये था एवं व्यापारी का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त अभिग्रहण आदेश पारित करते समय नोटिस मे उल्लिखित तथ्यों का समावेश करते हुये जिन कारणों से उत्तर संतोषजनक नही पाया गया था , उन बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट अभिग्रहण आदेश पारित किया जाना चाहिये था । कारण बाताओ नोटिस तथा अभिग्रहण आदेश मे माल को रोकते समय जिन व्यक्तियों से खरीद किया जाना प्रदर्शित किया गया था , उनका कोई उल्लेख कर

निर्धारण/अर्थदण्ड आदेश में नही किया गया था । इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर कर निर्धारण/ अर्थदण्ड आदेश में तथ्यों का विधिवत उल्लेख न हो पाने की अनियमितता हुई ।

5- निर्देशों का सम्यक अनुपालन न करके इस प्रकार की गयी अभिग्रहण / अर्थदण्ड/कर निर्धारण की कार्यवाही से व्यापारी/फर्म का अनावश्यक उत्पीडन तो सम्भावित होता ही है साथ ही ऐसे मामलों में अपीलीय अधिकारियों के समक्ष विभाग का पक्ष मजबूती के साथ रखने मे कठिनाई आती है । ऐसे प्रकरणों मे प्राय: अपीलीय अधिकारी / मा0 न्यायालयों के स्तर से की गयी कार्यवाही का समर्थन न होने की स्थिति में निहित राजस्व की भी क्षति होती है । यह राजस्व क्षति केवल इस कारण होती है कि प्रकरणों मे डिटेन्शन मेमों / कारण बताओ नोटिस / अभिग्रहण आदेश पारित करते समय सभी तथ्यों का समावेश नही किया जाता है एवं उनमे एक तारतम्य नही रहता है । वाहन मे लदे माल के भौतिक सत्यापन के समय तैयार की गयी इन्वेन्ट्री एवं माल के मूल्यांकन के समय तैयार की जाने वाली इन्वेन्ट्री में एकरुपता होनी चाहिये । डिटेन्शन मेमों / कारण बताओ नोटिस / अभिग्रहण आदेश पारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि उनमे कहीं परस्पर विरोधाभास न हो एवं एक रुपता बनी रहे जिससे अपीलीय अधिकारियों के समक्ष पैरवी में कठिनाई न हो और शासन को आर्थिक क्षति न हो ।

6- अत: निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन एवं कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपरिसंदर्भित निर्देशों तथा उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । भविष्य मे निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही न किये जाने पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी । ऐसे प्रकरणों मे यह क्षम्य न होगा कि इस प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने मे केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियॉ रही हैं , कोई राजस्व की क्षति नही हुई है ।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने / कराने का कष्ट करें ।

ह0/-

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. विशेष सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, अनुभाग-2 उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ ।
6. संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
8. निरीक्षण अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

ह0/-

(अमिता भूषण श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (निरीक्षण)
वाणिज्य कर, मुख्यालय ।